

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/माओचि/ 967

नारायणपुर, दिनांक 24/02/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयसन ओर माईन) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित (लीज एरिया 57.00 हे. पहुंच मार्ग 9.02 हे.—66.02 हे. खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड का पत्र क्रमांक /SBPIL/MIN/19-20/4515 दिनांक 11.02.2020 ।

—:00:—

विषयांतर्गत निवेदन है, कि आवेदक संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर लिमिटेड ग्राम बोरझरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र रायपुर द्वारा ग्राम छोटेडोंगर के वन क्षेत्र में प्रस्तावित (लीज एरिया 57.00 हे0 + एवं पहुंच मार्ग 9.02) कुल रकबा 66.02 हे . का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु नवीन चेक लिस्ट के दिशा निर्देश के तहत 1 से 44 बिन्दु में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

1. आवेदनकर्ता मेसर्स बजरंग पवार एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र रायपुर द्वारा ग्राम छोटेडोंगर के वन क्षेत्र रकबा 66.02 हे . का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग की गई है
2. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव का नियमानुसार पंजीयन का एवं प्रोसेसिंग की राशि नारायणपुर वनमण्डल में जमा किया गया है ।
3. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का साईट क्वालिटी —III वन का घनत्व —0.6 है ।
4. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र —3) में संलग्न है ।
5. प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु संबंधित क्षेत्र के ग्रामों के पंचायतों को अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है ।
6. परियोजना में प्रभावित वन भूमि के रकबा 66.02 हे. के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न है ।
7. प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है ।
8. परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है ।

9. प्रस्तावित गैर वाणिज्यिक परियोजना में आवेदक संस्थान द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के 3B वन का उल्लंघन नहीं किया गया है।
10. आवेदित क्षेत्र Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve) प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी आदिवासी सेटलमेंट, धार्मिक स्थल की सीमा से 5 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अभयारण्य का भाग नहीं है।
12. आवेदनकर्ता विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने का वचन पत्र सलमन है।
13. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र सलमन है।
14. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुउपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र सलमन है।
15. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान का परियोजना प्रतिवेदन सलमन है।
16. आवेदक संस्थान मेसर्स बजरंग पावर लिमिटेड द्वारा परियोजना में किसी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारम्भ ना करने का प्रमाण पत्र सलमन है।

अतः प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रथम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव/डीओजीओपीओ एसओ सर्वे रिपोर्ट (माइनिंग क्षेत्र एवं पहुच मार्ग एवं सी.ए. लैंड) 05-05 प्रतियों में सलमन प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 20/02/2020

पू0क्रमांक/माओचि0/ 968

प्रतिलिपि:-

- (2) मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझरा उरला औद्योगिक क्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर